

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002**

Notification No. 07/2021– State Tax

Dated: The 29th November 2021

No. F.3(132)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 350 -In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (i) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2021.
(ii) These rules shall come into force with effect from 27th April, 2021.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 26 in sub-rule (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of April, 2021 to the 31st day of May, 2021, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** and the details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** or using invoice furnishing facility, verified through electronic verification code (EVC).”.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3 (132)/Fin (Exp-I)/2021-22/DS-I/ 350

Dated: The 29th November 2021

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide Notification No.03/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017, Published *Vide* No. F.3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended *vide* notification No. 01/2021-State Tax, Dated the 26th November 2021, published in the Gazette of Delhi, Part IV, Published *Vide* No. F.3(131) /Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/334 dated the 26th November 2021.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 29 नवम्बर, 2021

अधिसूचना संख्या 07/2021-राज्य कर

सं0फा0 03(132)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/350 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये नियम 27 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे।
2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 26 के उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को एवं धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव-I (वित्त)

सं0फा0 03(132)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/350

दिनांक: 29 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव- I (वित्त)

टिप्पण: मूल नियम को सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-IV/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017- राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 के द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया और सं0फा0 03(131)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/334, तारीख 26 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 01/2021-राज्य कर, तारीख 26 नवम्बर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।